



दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt. of India Enterprise)

STC/BS&P/BS/10032/2017/CIR

26th December, 2017

CIRCULAR NO. 229

Subject: Partial Amendment in Note No. 4 of Schedule – A (1) & A (2) of the Delegation of Powers.

Competent Authority has approved the partial amendment in Note No. 4 to Schedule – A (1) : Trade and Business Matters (Corporate Office) & Schedule – A (2) : Trade and Business Matters (Regions / Branches) of Delegation of Powers as given below:

**Schedule A (1): Trade and Business Matters (Corporate Office)
Notes Applicable to Schedule – A(1)**

4. Associate Finance, for the purpose of this Schedule, will mean a finance manager of rank not less than the level shown below:

Competent Authority

.....
Director
.....
.....
.....

Associate Finance

.....
DGM (Fin)
.....
.....
.....

**Schedule A (2): Trade and Business Matters (Regions / Branches)
Notes Applicable to Schedule – A(2)**

4. These powers shall be exercised by the competent authorities with due concurrence of Associate Finance.

.....
.....

Associate Finance, for the purpose of this Schedule, will mean a finance manager of rank not less than the level shown below:

Competent Authority

.....
Director
.....
.....
.....

Associate Finance

.....
DGM (Fin)
.....
.....
.....

This issues with the approval of the Competent Authority.



(Ritu Arora)

Company Secretary

To: All Concerned



दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt. of India Enterprise)

STC/BS&P/BS/10032/2017/CIR

26th December, 2017

परिपत्र संख्या 229

उपव्यापार और व्यापार मामलों से संबंधित शक्तियों के संशोधित प्रतिनिधिमंडल :

सक्षम प्राधिकरण ने निम्नलिखित के अनुसार व्यापार और व्यापार मामलों से संबंधित शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के अनुसूची ए)1) और अनुसूची ए)2) के नोट नंबर 4 में संशोधन को मंजूरी दी है:

अनुसूची ए)1): व्यापार और व्यापार मामलों (कॉर्पोरेट कार्यालय) अनुसूची के लिए लागू नोट -ए)1) 4. इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए एसोसिएट वित्त, का अर्थ निम्न स्तर से कम नहीं है, जो बैंक का वित्त प्रबंधक है:

सक्षम प्राधिकरण

एसोसिएट वित्त

.....
निदेशक

.....
उप. म. प्र.)वित्त(

अनुसूची ए)2): व्यापार और व्यापार मामलों (शाखाएं / क्षेत्र) अनुसूची के लिए लागू नोट) ए -2) 4. एसोसिएट फाइनेंस की उचित सहमति के साथ सक्षम अधिकारियों द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा।

.....
.....
इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए एसोसिएट वित्त, का अर्थ निम्न स्तर से कम नहीं है, जो बैंक का वित्त प्रबंधक है:

सक्षम प्राधिकरण

एसोसिएट वित्त

.....
निदेशक

.....
उप. म. प्र.)वित्त(

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है


(कंपनी सचिव)